उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1
संख्या-22/1101/84-1-13-43बामा/2009
लखनऊ दिनॉक 10 जनवरी 2014
कार्यालय-आदेश

श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) विधिक माप विज्ञान के विरूद्व जनपद हरदोई केन्द्र पर तैनाती अवधि में प्रकाश में आयी अनियमितताओं के लिये सी0एस0आर0 के नियम-351 ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। शासन के कार्यालय आदेश संख्या-991/84-1-09-43बामा/2009 दिनॉक 17 दिसम्बर 2009 द्वारा प्रकरण की जॉच हेतु उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान फैजाबाद जोन फैजाबाद को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अनुमोदित आरोप पत्र मय साक्ष्य सहित जॉच अधिकारी द्वारा श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा को दिनॉक 30-12-2009 को प्राप्त कराया गया। श्री मिश्रा के प्रार्थना पत्र दिनॉक 30.01.2010 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या-170/84-1-10-43बामा/2009 दिनॉक 19 फरवरी 2010 द्वारा उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान फैजाबाद जोन फैजाबाद के स्थान पर उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान मेरठ जोन मेरठ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया।

2- आरोपों की जॉच उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान मेरठ जोन मेरठ से करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या उनके पत्र दिनॉक 24.3.2011 के साथ प्राप्त हुई और यह पाया गया कि आरोपों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले प्रपत्र जो आरोपी की प्रतिरक्षा में नहीं थे (यह आरोप है कि सेवानिवृत्ति के दिन चार्ज नहीं दिया तथा कोषागार रसीद संख्या 385 किताबें कैशबुक कोषागार में जमा चालान की प्रतियॉ चार्ज में नहीं दिया गया) को उपलब्ध कराते हुए श्री मिश्रा को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्री मिश्रा दिनॉक 27.12.2011 को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद के समक्ष उपस्थित हुए और लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। श्री मिश्रा के उत्तर को जॉच अधिकारी को भेजते हुए यह निर्देशित किया गया कि वह श्री मिश्रा के उत्तर को जॉच में सम्मिलित कर एक बार पुन: उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार जॉच कर संशोधित जॉच आख्या उपलब्ध करायें। तत्क्रम में जॉच अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित जॉच आख्या अपने पत्र दिनॉक 22-5-2012 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

3- श्री मिश्रा के विरूद्व कुल 02 आरोप थे प्रथम आरोप यह था कि श्री मिश्रा द्वारा हरदोई केन्द्र में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर कार्यरत् अवधि में उनके द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त केन्द्र का चार्ज श्री सुधीर कुमार सिंह निरीक्षक हरदोई को हस्तगत नहीं कराया गया। जबकि इस हेतु उन्हें उप नियंत्रक लखनऊ द्वारा निरन्तर निर्देशित किया गया तथा चार्ज हस्तगत हेतु लिखा भी जाता रहा। उनके द्वारा कोषागार की रसीद संख्या-385 की किताबें कैशबुक कोषागार में जमा धनराशि से संबंधित चालानों की कार्यालय प्रतियॉ एवं अन्य अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को हस्तगत नहीं किये गये। द्वितीय आरोप यह था कि श्री मिश्रा के हरदोई केन्द्र में वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर कार्यरत् अवधि में उनके द्वारा शासकीय रू0 114460/- कोषागार हरदोई में जमा किया गया दिखाया गया है का सत्यापन कोषागार हरदोई से कराने पर उनके द्वारा इस धनराशि को कोषागार में जमा होना नहीं बताया गया। भारतीय स्टेट बैंक हरदोई में जमा की गई धनराशि रू0 1,14,460/- के भारतीय स्टेट बैंक हरदोई में जमा किये जाने की पुष्टि बैंक द्वारा नहीं की जा सकी। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि से संबंधित जिन चालानों की प्रतियॉ कार्यालय में उपलब्ध थी उन्हें फर्जी रूप से तैयार किया गया।

4- प्रथम आरोप के संबंध में श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा द्वारा दिनॉक 27-12-2011 को राज्य सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि वह दिनॉक 30-11-2008 को कार्यालय नहीं गये तथा 01-12-2008 को कार्यालय जाकर समस्त अभिलेख श्री सुधीर कुमार सिंह, निरीक्षक को श्री

http://shasanadesh.up.nic.in

सूबेदार वरिष्ठ सहायक एवं श्री साजिद प्रहरी की उपस्थिति में दे दिये। श्री मिश्रा द्वारा कहा गया कि श्री सूबेदार वरिष्ठ सहायक द्वारा वर्ष 2002 से 30-11-2008 तक के ट्रेजरी चालान कार्यालय में न होना बताया है जो असत्य और निराधार है किन्तु श्री मिश्रा द्वारा उक्त बातों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि श्री सुधीर कुमार सिंह निरीक्षक द्वारा रू0 507990/- ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराया गया है। समस्त चार्ज सोमवार दिनॉक 01-12-2008 को कार्यालय पहुँचकर श्री सुधीर कुमार सिंह निरीक्षक को दिया गया किन्तु श्री सुधीर कुमार सिंह के उत्तरों/बयानों तथा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से यह पाया गया कि दिनॉक 01-12-2008 को श्री सुधीर कुमार सिंह को कोई चार्ज नहीं दिया गया वरन् इसके विपरीत श्री मिश्रा कार्यालय की चाबी का एक सेट श्री सूबेदार वरिष्ठ सहायक को सौपकर चले गये और इसके पश्चात् श्री सूबेदार द्वारा दिनॉक 18-12-2008 को पत्र संख्या-134 द्वारा उप नियंत्रक लखनऊ मण्डल को विभिन्न अभिलेखों के कार्यालय से गायब होने की सूचना दी गयी।

5- प्रश्नगत प्रकरण में श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा वरिष्ठ निरीक्षक (सेवानिवृत्त) विधिक माप विज्ञान हरदोई केन्द्र ने अपने अभ्यावेदन दिनॉक 11-9-2012 के प्रस्तर-7(ड.) में यह उल्लेख किया है कि रू0 114460.00 के संबंध में पूर्व में जॉच के समय श्री सूबेदार सहायक को भी दोषी माना गया है इसी आधार पर मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश दिनॉक 06-11-2009 द्वारा तथाकथित असत्यापित धनराशि हेतु दोषी मानते हुए अनुपातिक धनराशि रोकते हुए उन्हें सभी देयों को दिलाये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

जॉच अधिकारी ने श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा पर लगाये गये आरोप एवं उस पर श्री मिश्रा का उत्तर तथा नियंत्रक की आख्या एवं जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि उ0प्र0 बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियमावली 1990 के नियम 18 के अनुसार प्राप्त राजस्व की रसीद जारी करना दैनिक रूप से उक्त प्राप्ति का अभिलेख अनुरक्षित करना तथा उसे संगत लेखाशीर्ष में कोषागार में जमा कराना निरीक्षक(केन्द्र प्रभारी श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा) का वैधानिक दायित्व था। जिसका निर्वहन इनके द्वारा नहीं किया गया। श्री मिश्रा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों के विरूद्व कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे जो यह सिद्व कर सके कि दिनॉक 01-12-2008 को उन्होंने केन्द्र के अभिलेख उत्तराधिकारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह को हस्तगत करा दिये थे। अभिलेखों का नियमानुसार चार्ज हस्तान्तरण न करने एवं रू0 9,24,371.00 का गबन करने का आरोप जॉच अधिकारी द्वारा यद्यपि सिद्व पाया गया।
परन्तु अभिलेखों द्वारा उक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 1,14,460/- की वित्तीय क्षति होना सिद्व पाया गया।

6- आरोप पत्र में वर्णित रू0 1,14,460/- की धनराशि जो कुल 06 ट्रेजरी चालानों द्वारा वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक हरदोई में जमा कराने का उल्लेख है का सत्यापन मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक हरदोई द्वारा किया गया है जिन्हें बैंक में जमा होना नहीं पाया गया है। चूँकि उक्त समस्त ट्रेजरी चालान बैंक में जमा न होने की पुष्टि हुई है और यह चालान कूटरचित करके जमा दिखाया गया है और श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन में भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके आधार पर इसे विखण्डित/अस्वीकृत किया जा सके। जैसा कि उ0प्र0 बाट तथा माप माप (प्रवर्तन) नियमावली 1990 के नियम 18 के अनुसार प्राप्त राजस्व की रसीद जारी करना दैनिक रूप से उक्त प्राप्ति का अभिलेख अनुरक्षित करना तथा उसे संगत लेखाशीर्ष में कोषागार में जमा कराना निरीक्षक (इस प्रकरण में

http://shasanadesh.up.nic.in

केन्द्र प्रभारी श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा) का वैधानिक दायित्व था जिससे श्री मिश्र किसी भी तर्क के द्वारा बच नहीं सकते।

7- उपर्युक्त समग्र तथ्यों अभिलेखों के सम्यक् परीक्षणोपरान्त श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा पर रू0 9,24,371.00 के गबन का आरोप पूर्णतया सिद्व प्रतीत नहीं होता है बल्कि रू0 114460/- के गबन का आरोप अभिलेखीय आधार पर सिद्व प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अनन्तिम रूप से यह विनिश्चय किया गया कि श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक के विरूद्व सी0एस0आर0-351 ए के अन्तर्गत गबन की धनराशि रू0 1,14,460/- की वसूली उनके अवशेष ग्रेच्युटी एवं पेंशन से कर ली जाय तथा 10 प्रतिशत पेंशन रोक ली जाय और उक्त विनिश्चय दण्ड पर उ0प्र0 लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गयी। लोक सेवा आयोग ने शासन द्वारा विनिश्चय दण्ड के अनुरूप अपने पत्र संख्या-33/10/ए.डी.सी./सेवा-5/2013-2014 दिनॉक 19 अक्टूबर 2013 द्वारा निम्नवत् दण्ड प्रदान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा ((सेवानिवृत्त) वरिष्ठ निरीक्षक के विरूद्व सी0एस0आर0-351 ए के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करते हुए उनके द्वारा गबन की गई धनराशि रू0 1,14,460/- की वसूली उनके अवशेष ग्रेच्युटी एवं पेंशन से कर ली जाय तथा 10 प्रतिशत पेंशन रोक ली जाय।

8- प्रकरण में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या आरोपी कार्मिक का अभ्यावेदन लोक सेवा आयोग के परामर्श तथा समस्त सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री राज्यपाल श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा से गबन की गई धनराशि रू0 1,14,460/- की वसूली उनके अवशेष ग्रेच्युटी एवं पेंशन से कर ली जाय तथा 10 प्रतिशत पेंशन रोक ली जाय का दण्ड देते हुए श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा के विरूद्व प्रचलित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-1101 (1)/84-1-13 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-384/निविमावि-अधि-1(ह0के0चा0)/12 दिनॉक 27 नवम्बर 2012 के संदर्भ में आदेश की दो अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा सेवानिवृत्त वरिष्ठ निरीक्षक को आदेश तामील कराकर तामीली रसीद शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- सचिव लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-33/10/ए.डी.सी./सेवा-5/2013-2014 दिनॉक 19 अक्टूबर 2013 के संदर्भ में।
4- उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान लखनऊ संभाग लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद उ0प्र0 लखनऊ।
6- संबंधित कोषाधिकारी को नियंत्रक विधिक माप विज्ञान विभाग उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से।
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in